न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज0)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 51/2019

अपीलार्थी	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री यासीन खान पुत्र श्री सरदार खान जाति मुसलमान निवासी पालनपुर पैलेस आबूपर्वत तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पिण्डवाडा ।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र सिंह आढा, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री नायब तहसीलदार (पेरोकार सरकार)

निर्णय

दिनांक : 04.06.2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उनके समर्पण आदेश क्रमांक/राजस्व/2018/1441–42 दिनांक 26.12.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किये गये एवं अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से पेरोकार सरकार, द्वारा उपस्थिति दी गई।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई । अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढा द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की ग्राम चवरली पटवार हल्का आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 533 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 534 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 534/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि आई हुई है। अपीलार्थी ने उक्त खसरा नम्बरान को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ औद्योगिक संपरिवर्तन हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसको रूपान्तरण करने की आड में अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 533 में से 0.04 बीघा (539 वर्गमीटर) व खसरा संख्या 534 में से 0.07 बीघा (856 वर्गमीटर) की खातेदारी कृषि भूमि को जबरन समर्पण करवाकर समर्पण भूमि का नियमानुसार अमलदरामद राजस्व रेकर्ड में करने के पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी को निर्देश देकर कानूनन व वाक्यानन गलती की है। यह है कि समर्पण हमेशा स्वैच्छिक होता है तथा रेस्पोडेन्ट बिना प्रतिकर भुगतान किए खातेदार को उसकी भूमि समर्पण करने हेतु दबाव नहीं डाल सकता है। यह है कि खा[illegible]ी भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहता है तो आ[illegible] भूमि जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है व खातेदार की खातेदारी में दी [illegible] परन्तु उसे संपरिवर्तन भूमि तक पहुंचने हेतु उचित चौडाई का रास्ता [illegible] आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त सडक सीमा के भीतर आने वाली भूमि का समर्पण करना कतई आवश्यक नहीं है। इन सभी तथ्यों को भी नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने गलती कर उक्त आदेश पारित

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

किया है जो विधि विरूद्ध है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के समर्पण आदेश को निरस्त करना फरमावें। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत आरआरटी 2019(1) टीकूसिंह चौधरी बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 10.04.2019 पेश किया।

रेस्पोडेन्ट संख्या की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे कोई त्रुटी नही की गई है। अपीलांट ने स्वैच्छा से समर्पणनामा मंजूर करने बाबत तहसीलदार पिण्डवाडा को निवेदन किया था एवं उसी के आधार पर तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा समर्पण आदेश पारित किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट को हैरान परेशान करने की नियत से यह अपील पेश की है जो खारिज किए जाने योग्य है।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भलीभॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में खातेदारी की दर्ज है। अपीलांट की कृषि भूमि, पटवार हल्का आदर्श डूंगरी के ग्राम चवरली में आई हुई है। दौराने सुनवाई अपीलांट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यो की और मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी की ग्राम चवरली पटवार हल्का आदर्श डूंगरी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 533 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नम्बर 534 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 534/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा भूमि आई हुई है। अपीलार्थी ने उक्त खसरा नम्बरान को कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ औद्योगिक संपरिवर्तन हेतु आवेदन उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसको रूपान्तरण करने की आड में अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा संख्या 533 में से 0.04 बीघा (539 वर्गमीटर) व खसरा संख्या 534 में से 0.07 बीघा (856 वर्गमीटर) की खातेदारी कृषि भूमि को जबरन समर्पण करवाकर समर्पण भूमि का नियमानुसार अमलदरामद राजस्व रेकर्ड में करने के पटवारी हल्का आदर्श डूंगरी को निर्देश देकर कानूनन व वाक्यानन गलती की है। यह है कि समर्पण हमेशा स्वैच्छिक होता है तथा रेस्पोडेन्ट बिना प्रतिकर भुगतान किए खातेदार को उसकी भूमि समर्पण करने हेतु दबाब नहीं डाल सकता है। यह है कि खातेदार अपनी भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन चाहता है तो आई आर सी मापदण्डों से प्रभावित भूमि जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञेय नहीं है व खातेदार की खातेदारी में ही रहेगी परन्तु उसे संपरिवर्तन भूमि तक पहुंचने हेतु उचित चौडाई का रास्ता (न्यूनतम 3 फीट) आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त सडक सीमा के भीतर आने वाली भूमि का समर्पण करना कतई आवश्यक नहीं है। इन सभी तथ्यों को भी नजरअंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय ने गलती कर उक्त आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से ... कि राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–9) विभाग के परिपत्र क्रमांक 2(14)... दिनांक 17.09.2019 को परिपत्र जारी किया गया था जबकि तहसीलदार पिण्ड... द्वारा उक्त समर्पण आदेश राजस्थान सरकार के परिपत्र जारी होने से पूर्व ही पारित कर दिया एवं राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र में यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया गया है कि यह परिपत्र इसके जारी होने की दिनांक 17.09.2019 से पूर्व के जारी आदेशों पर लागू होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलांट ने स्वयं समर्पण नामें को मंजूर कर पटवार हल्का आदर्श डूंगरी को राज्य सरकार के हक में अमल दरामद करने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया था। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील परिपोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:09:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner